"मज़बूत लोकतन्त्र–सबकी भागीदारी"

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

संख्याः 5-35/2014-ईएलएन दिनांकः 20 **नवम्बर,2020**

कार्यालय आदेश

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर की सिफारिशों के आधार पर चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के निम्न कर्मचारियों को निर्वाचन विभाग में 20 प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती कोटे (20% Limited direct Recruitment) के अन्तर्गत लिपिक के पद पर वेतनमान 5910-20200/- रूपए जमा 1900/- रूपए ग्रेड पे में नियमित आधार पर नियुक्ति की पेशकश (offer) प्रदान की जाती है। इस नियुक्ति के फलस्वरूप उक्त कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख दर्शाए गए कार्यालयों में लिपिकों/कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के रिक्त पदों के विपरीत पदस्थापित किया जाता है:-

S. N.	Name & address of employee	Date of Birth	Category	Roll No.	Previous Department	Place of appointment
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sh. Devi Chand s/o Sh. Tikhu Ram R/o Village Bainsh, PO Toon, Sub Tehsil Dhami, District Shimla, H.P.-171103	22-09-1975	General / UR	746000578	O/o Executive Engineer(B&R), Shimla Division No.1, HPPWD, Shimla-171003	District Election Office, Solan. Against vacancy of Clerk.
2.	Sh. Ravinder Singh s/o Sh. Bishan Singh R/o Village Gehal, PO Korag, Tehsil Sangrah, District Sirmour, H.P.	04-02-1989	General / UR	746000773	O/o Executive Engineer(B&R), Nahan Division, HPPWD, Nahan.	Sub-Divisional Election Office, Sangrah. Against vacancy of Clerk.
3.	Sh. Kapil Dev s/o Sh. Jagdish Chand R/o VPO Balh Jolly, Tehsil Jogindernagar, District Mandi, H.P.	07-01-1986	General / UR	746000800	O/o Executive Engineer, Mechanical Division, HPPWD, Kullu.	Sub-Divisional Election Office, Padhar, District Mandi. Against vacancy of JOA(IT)

नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्ते निम्नलिखित से होगी :–

I. नियुक्ति पहले दो वर्ष के लिए परख पर तथा अस्थाई है जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

II. नियुक्ति उम्मीदवार द्वारा अपनी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों के प्रस्तुतीकरण पर ही मान्य होगी।

III. नियुक्ति दोनो तरफ से यानि नियोजन अधिकारी और उम्मीदवार द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताए एक मास की सूचना द्वारा समाप्त की जा सकती है। नियोजन अधिकारी सेवाओं को तत्काल या सूचना की निश्चित अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचना की असमाप्त अवधि के एवज़ में वेतन एंव भत्तों के बराबर की राशि का भुगतान करने पर समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

IV. विभाग के लिपिकों का राज्य संवर्ग होने के कारण उनकी पदस्थापना कभी भी हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थान पर की जा सकती है।

V. उन्हें नियम एवं आदेशानुसार स्वीकृत अन्य सभी भत्ते, जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अपने कर्मचारियों को प्रदान किए जाते हैं, देय होंगे।

VI. सेवा की अन्य शर्ते सम्बन्धित सेवा नियमों के प्रावधानों तथा सरकार द्वारा द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं अनुदेशों के अधीन नियन्त्रित होगी।

VII. उक्त कर्मचारियों का वेतन सम्बन्धित नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाएगा।

VIII. उक्त कर्मचारियों पर केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पैंशन) नियम, 1972 के प्रावधान या अंशदायी पैंशन योजना (Contributory Pension Scheme) के प्रावधान, जो भी चपड़ासी के पद पर नियुक्ति के समय लागू होते थे, लिपिक के पद पर नियुक्ति फलस्वरूप भी यथावत लागू होते रहेंगे।

IX. उक्त कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1984 के अधीन पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, यदि वह इससे पूर्व उक्त योजना के अन्तर्गत पंजीकृत नही होंगे।

X. इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कर्मचारी को कोई यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

XI. यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाएं तथा घोषणाएं गलत सिद्ध हुई तो उन्हें किसी भी समय, बिना किसी भुगतान के, सेवा से मुक्त किया जाएगा तथा दूसरी कार्रवाई जो भी सरकार चाहे, की जाएगी।

यदि उक्त अभ्यर्थियों को ऊपरवर्णित निबन्धन एवं शर्तो पर यह नियुक्ति स्वीकार हो तो वह इन आदेशों के जारी होने से दो सप्ताह के भीतर दर्शाए गए कार्यालयों में वांछित प्रमाण–पत्रों सहित लिपिक पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए उपस्थित हों, अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात् यह नियुक्ति स्वतः ही रद्द समझी जाएगी।

आदेश से,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः 5-35/2014-ईएलएन **दिनांकः** 20 **नवम्बर,2020**

<u>प्रतिलिपि प्रेषित हैः–</u>

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), सोलन, सिरमौर स्थित नाहन व मण्डी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। उनसे अनुरोध है कि वह सम्बन्धित कर्मचारियों से वांछित दस्तावेज/प्रमाण–पत्र इत्यादि लेने के उपरान्त उनकी लिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण सूचना स्वीकार करें तथा कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी सूचना इस विभाग को भेजें।
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप मण्डलाधिकारी(नागरिक), संगड़ाह व पधर को सूचनार्थ एवं तत्सम कार्रवाई हेतु।
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर को उनके पत्र संख्याः HP-SSC-C(2)-35/2019-LDR(R-II)-6934, दिनांक 20-10-2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डल नम्बर–1, अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मण्डल नाहन व अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, यांत्रिक मण्डल, कुल्लू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। उनसे अनुरोध है कि वे सम्बन्धित कर्मचारियों को शीघ्र भारमुक्त करके उन्हें दर्शाए गए पदस्थापना स्थानों पर लिपिक के पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु इस विभाग को अवगत करते हुए निर्देशित करने की कृपा करें तथा इनका सेवा अभिलेख (सेवापंजी व निजी संचिका) भी इस विभाग को भिजवाएं।
5. जिला कोषाधिकारी, सोलन, नाहन व मण्डी को सूचनार्थ।
6. उक्त कर्मचारियों को उनके कार्यालयाध्यक्षों के माध्यम से सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
7. निजी संचिकाओं के लिए।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।